न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 74/2022 अपील (GCMS 2022/79)
पंजीयन दिनांक- 08/09/2022
निर्णय दिनांक- 27/08/2025

1. श्री कवलसिंह पिता श्रीराम जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री गोरीलाल पिता चतुर्भुज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मनोहरसिंह पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री चरणसिंह पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री गणपतसिंह पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. सम्पतबाई पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. मु. धापुबाई पत्नि पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री मनोहरसिंह पिता श्रीराम जाट, निवासी आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश मेनारिया - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,2,3,4,5 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8

अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 123/2019 निर्णय दिनांक 31.05.2022

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27/08/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 123/2019 निर्णय दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध दिनांक 29.08.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 28 अनुसार नवीन आराजी नम्बर 352, 353, 359 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2200 हैक्टेयर थे, जिसके पुराने आराजी नम्बर 255, 256/297, 257/299 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं 354, 357, 256/298, 257/300 है। पक्षकारान् की आराजीयात पूर्व सेटलमेंट के अनुसार साबिक आराजीयात पूर्व से पश्चिम लम्बाई में तीन टुकड़ो में विभाजित थी, यानि आराजी नम्बर 297/256 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा उक्त आराजी दक्षिण में आराजी नम्बर 298/256 भी पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी एवं उक्त आराजी के दक्षिण में आराजी नम्बर 256 मी. नक्शा नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा आराजी नम्बर 255 पश्चिम दिशा में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा इन आराजीयात के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 256 स्थित थी। उक्त वर्णित आराजीयात का नवीन सेटलमेंट के दौरान नवीन नक्शा ट्रेस कायम किया तो आराजी का अंकन पूर्व से पश्चिम लम्बाई में पूर्वानुसार नहीं

कर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में कर दिया, यानि आराजी नम्बर 352 पश्चिम में तथा उक्त आराजी के पूर्व में आराजी नम्बर 353 व इसके पूर्व आराजी नम्बर 354 तथा उसके बाद आराजी नम्बर 355 व उसके पूर्व में आराजी नम्बर 357 व 359 के बीच में आराजी नम्बर 358 तरमीम कर दी, जबकि पक्षकरान् का कब्जा पूर्व सेटलमेंट के साबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार चला आ रहा है, इसलिए पूर्व सेटलमेंट के साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा में तरमीम की जावे, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 123/2019 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 31.05.2022 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वो उक्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में आराजीयात का अमल दरामद करें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया बवक्त बहस अनुपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, शेष रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.08.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 23.03.2022 का आदेश ही अंकित नहीं है

एवं दिनांक 24.05.2022 की आदेशिका भी अंकित नहीं है, जिसमें यह तथ्य सिद्ध करता है कि समस्त कार्यवाही पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा बाद में की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 के तहत केवल मात्र लिपीकिय त्रुटियों को ही संशोधित करने का अधिकार है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में नये व पुराने नक्शे में बिना किसी आधार पर मौके एवं कब्जा अनुसार अंकन व तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान कर दियो गये, जबकि भूमि की तरमीम किये जाने के प्रावधान धारा 136 में नहीं दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट भी पूर्णतया गलत है, क्योंकि उक्त रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 को मौके पर नही बुलाया गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा बनाये जाने के आदेश थे, किंतु उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार की गयी। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी खारिज किया गया है, परंतु आगे की कार्यवाही में अपीलांट को भाग लेने का पूर्ण अधिकार था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.05.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाते हुए प्रकरण में आदेश दिनांक 31.05.2022 पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 8 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 31.05.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की खातेदारी

की कृषि भूमि राजस्व ग्राम आजमपुरा (रामपुरा), तहसील निम्बाहेडा में स्थित होकर जिसके खाता संख्या 28 अनुसार नवीन आराजी नम्बर 352, 353, 359 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2200 हैक्टेयर थे, जिसके पुराने आराजी नम्बर 255, 256/297, 257/299 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं 354, 357, 256/298, 257/300 है। पक्षकारान् की आराजीयात पूर्व सेटलमेंट के अनुसार साबिक आराजीयात पूर्व से पश्चिम लम्बाई में तीन टुकड़ो में विभाजित थी, यानि आराजी नम्बर 297/256 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा उक्त आराजी दक्षिण में आराजी नम्बर 298/256 भी पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी एवं उक्त आराजी के दक्षिण में आराजी नम्बर 256 मी. नक्शा नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा आराजी नम्बर 255 पश्चिम दिशा में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा इन आराजीयात के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 256 स्थित थी। उक्त वर्णित आराजीयात का नवीन सेटलमेंट के दौरान नवीन नक्शा ट्रेस कायम किया तो आराजी का अंकन पूर्व से पश्चिम लम्बाई में पूर्वानुसार नहीं कर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में कर दिया, यानि आराजी नम्बर 352 पश्चिम में तथा उक्त आराजी के पूर्व में आराजी नम्बर 353 व इसके पूर्व आराजी नम्बर 354 तथा उसके बाद आराजी नम्बर 355 व उसके पूर्व में आराजी नम्बर 357 व 359 के बीच में आराजी नम्बर 358 तरमीम कर दी, जबकि पक्षकरान् का कब्जा पूर्व सेटलमेंट के साबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार चला आ रहा है, इसलिए पूर्व सेटलमेंट के साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा में तरमीम की जावे, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 123/2019 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 31.05.2022 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा तहसीलदार, निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर प्रकरण में

वर्णित आराजीयात मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्णित आराजीयात में मौके एवं नक्शा ट्रेस में अंतर होकर अशुद्धि होना प्रमाणित है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्वि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्वि की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2022 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक

31.05.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर